राजकीय महाविद्यालय बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(1) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अनुच्छेदों पर की गई कारवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई। गत अवधि के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट "I"** में संलग्न की गई है। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

(2) अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्नविवरणानुसार प्राचार्यों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	प्राचार्य का नाम	अवधि
1	श्री एच0एल0 डोगरा (कार्यवाहक)	1.4.2012 से 1.8.2012
2	डा0 वी0एस0 जसवाल	2.8.2012 से 30.6.2013
3	श्री के0सी0 मन्हास (कार्यवाहक)	1.7.2013 से 27.1.2014
4	श्री सुन्दर सिंह	28.1.2014 से 8.7.2015
5	डा0 कमलेश ठाकुर	9.7.2015 से 28.3.2016
6	डा0 एच0एल0 शर्मा (कार्यवाहक)	29.3.2016 से 22.5.2016
7	श्रीमती मीना सूद	23.5.2016 से 31.3.2017

(3) राजकीय महाविद्यालय बड़सर के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (₹) लाखो में
1	महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से निधि/शुल्क के रूप में कम एकत्रीकरण	6 (1 से 5)	3.29
2	महाविद्यालय द्वारा शुल्क राशि को देरी से सरकारी कोष में जमा करना	7	2.80
3	महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त निधि/शुल्क राशि को कम जमा करने बारे	8 (1 से 5)	0.85
4	महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि लेखें में सम्भावित दुर्विनियोजन	9.2	1.47

5	महाविद्यालय द्वारा पी0टी0ए0 निधि से ऋण प्राप्त राशि को बैंक खाते में जमा न करना	9.3	1.41
6	महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय निधि की भुगतान प्राप्ति की रसीदें प्रस्तुत न करना	9.5	14.76
7	महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से पहचान पत्र मुद्रण हेतु किया गया अनुचित व्यय	11	0.40
8	महाविद्यालय द्वारा भुगतान वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	13	2.63

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये है, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (ले0.प0) व श्री पुनीत शर्मा (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 27.3.2017 से 3.5.2017 तक के दौरान बड़सर महाविद्यालय में किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया।

वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2012–13	6/2012	3/2013
2013–14	6/2013	3/2014
2014–15	6/2014	12/2014
2015–16	6/2015	10/2015
2016–17	6/2016	12/2016

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। अधूरी एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

महाविद्यालय के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹40000 बनता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वर्ष	निधियों से प्राप्ति	अंकेक्षण शुल्क (₹)
1	2012—13	819611	8000
2	2013—14	1115075	8000
3	2014—15	1844649	8000
4	2015—16	2229923	8000
5	2016—17	2516994	8000
		कुल	**₹40000**

अंकेक्षण शुल्क ₹40000 को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 196 दिनांक 27.4.2017 द्वारा अनुरोध किया गया तथा महाविद्यालय द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 641535 दिनांक 4.5.2017 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा बड़सर, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला—9 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः—

राजकीय महाविद्यालय बड़सर के छात्र निधि लेखाओं से सम्बन्धित विभिन्न निधियों की अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 तक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

5 (क) सावधि जमा निवेशः—

राजकीय महाविद्यालय बड़सर के अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 तक के दौरान विभिन्न निधि लेखाओं से संस्था द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेशित नहीं की गई थी।

(ख) उचित वितीय प्रबन्धन न होने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होनाः—

वित्तीय स्थिति के अनुसार अत्याधिक राशियाँ बिना उपयोग के ही बैंक बचत खातों में शेष पाई गई जिसमें से एक यथोचित भाग सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था जिससे निश्चित तौर पर महाविद्यालय को सावधि जमा मे बचत खाते से अधिक ब्याज अर्जित हो सकता था, किन्तु महाविद्यालय द्वारा उचित वित्तीय प्रबन्धन न अपनाये जाने के कारण निधियों की अत्याधिक राशियाँ बैंक बचत खातों में ही जमा रखी गई, जिसके कारण ब्याज के रूप में होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा। अतः भविष्य में महाविद्यालय के छात्र निधियों में पड़ी अनुपयुक्त अतिरिक्त राशियों जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, में से यथोचित राशियों को सावधि जमा लेखों में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि

महाविद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त प्राप्ति सुनिश्चित हो सके जिसका उपयोग छात्रों के कल्याणार्थ किया जा सके।

6 निधियों के ₹3.29 लाख के कम एकत्रीकरण बारेः—

6.1 ₹2.01 लाख का कम एकत्रीकरणः—

सचिव, हिमाचल प्रदेश रैड क्रास शिमला के पत्र संख्या 104/JRC/VOL-IV/011-014-1823 दिनांक 24.3.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से रैड क्रास सदस्यता शुल्क ₹40 वार्षिक एकत्र की जानी अपेक्षित थी वर्ष 2015—16 के प्रोस्पैक्टस में पृष्ठ संख्या 23 क्रम संख्या 3 के अनुसार भी विद्यार्थियों से ₹40 रैड क्रास निधि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी लेकिन राजकीय महाविद्यालय बड़सर में वर्ष 2015—16 व 2016—17 के दौरान विद्यार्थियों से रैड क्रास सदस्यता शुल्क प्राप्त नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप रैडक्रास सदस्यता शुल्क की निम्नविवरणानुसार ₹200760 का कम एकत्रीकरण किया गया। रैड क्रास सदस्यता शुल्क का एकत्रीकरण न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹200760 की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि रैड क्रास निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रमांक	वर्ष	छात्र की सं0	समैस्टर	रैड क्रास मैम्बरशिप फीस (वार्षिक)	कम प्राप्ति
1	2015—16	1319	प्रथम, तृतीय व पांचवा	40	52760
2	2015—16	1122	दूसरा, चौथा व छठा	40	44800
3	2016—17	1340	प्रथम, तृतीय व पाँचवा	40	53600
4	2016—17	1240	दूसरा, चौथा व छठा	40	49600
				कुल	**200760**

6.2 कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि ₹1.04 लाख का एकत्रीकरण न करनाः—

प्रधान सचिव शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN-A-KHA(8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की वाणिज्य एवं गणित की कक्षाओं के विद्यार्थियों से ₹15 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि वर्ष 2015—16 व 2016—17 के दौरान कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की निम्न विवरणानुसार ₹104130 का एकत्रीकरण नहीं किया गया था। कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि का एकत्रीकरण न करने बारे औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त एकत्र न की गई ₹104130 को उचित स्त्रोत से वसूल कर कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कक्षा	वित्त वर्ष	प्रति छात्र प्रतिमाह प्राप्ति योग्य राशि	छात्रों की संख्या	कुल प्राप्ति योग्य राशि	प्राप्त राशि	कम एकत्रीकरण
1	बी कॉम	2015–16	15	100	18000	–	18000
2	बी0एस0सी0 (मैथ)	2015–16	15	316	56880	–	56880
3	बी कॉम	2016–17	15	59	10620	5310	5310
4	बी0एस0सी0 (मैथ)	2016–17	15	133	23940	–	23940
						कुल	**104130**

6.3 विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹0.21 लाख को एकत्र न करनाः–

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2012–13 से 2015–16 के प्रविवरणों (Prospectus) में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 11 जून से 20 जून तक विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क बिना विलम्ब शुल्क के साथ एवं 21 जून से 30 जून तक प्रवेश शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी/प्रतिदिन की दर से एकत्र किया जाना अपेक्षित था जबकि **परिशिष्ट "ख"** में वर्णित रसीदों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 में विद्यार्थियों को उक्त अवधि के पश्चात भी प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क वसूल करके दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि में सरकारी कोष को ₹20560 की हानि हुई। अतः संस्था द्वारा विलम्ब शुल्क को एकत्र न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.4 गलत योग गणना के कारण विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹2400 का कम एकत्रीकरण करनाः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर के शैक्षणिक सत्र 2012–13 से 2015–16 के प्रविवरणों (Prospectus) में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 21 जून से 30 जून तक विलम्ब प्रवेश शुल्क ₹10 प्रतिदिन/प्रति विद्यार्थी की दर से एकत्र किया जाना अपेक्षित था परन्तु महाविद्यालय द्वारा गलत योग गणना/गलत विलम्ब दिवसों की गणना के कारण विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹2400 की कम वसूली की गई, जिससे सरकारी कोष को ₹2400 की हानि हुई। इस राशि का विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है। अतः संस्था द्वारा विलम्ब राशि की गलत वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सरकारी कोष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.5 गृह परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से जुर्माने के रूप में ₹700 की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN-A-KHA (8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 व शिक्षा निदेशालय (उच्च) के पत्र संख्या EDN-H (21)A(30) 20/2010-V दिनांक 3.6.2012 के अनुसार प्रत्येक ऐसा विद्यार्थी जो गृह परीक्षा में अनुपस्थित रहा हो से ₹10 प्रति विद्यार्थी/प्रति पेपर की वसूली अपेक्षित थी। अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "घ"** में दिये गये विवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा गृह परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों से जुर्माने के रूप में ₹700 वसूल नहीं किए गए थे। अतः जुर्माने की राशि को वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹700 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अन्य मामलों में वर्ष 2012–13 से 2016–17 के दौरान गृह परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों से जुर्माना शुल्क की प्राप्ति योग्य राशि की संस्था स्तर पर गणना करके उचित कार्यवाही की जाए।

7 शुल्क ₹2.81 लाख को देरी से सरकारी कोष में जमा करने बारेः–

शुल्क राशियों को प्राप्तियों के तुरन्त बाद/प्राप्ति के अगले कार्य दिवस को सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि सरकारी प्राप्तियां ₹280880 को प्राप्ति के पश्चात सरकारी कोष में देरी से जमा किया गया है। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्राप्त राशियों को समय पर सरकारी कोष में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में सरकारी प्राप्तियों को नियमानुसार समय पर सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार के अस्थाई दुर्विनियोजन को नकारा जा सके।

8 विद्यार्थियों से प्राप्त निधियों की जाँच करने पर ₹0.85 लाख के कम जमा के मामले पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

8.1 ₹0.41 लाख प्रवेश फार्म बिक्री की कम जमा राशिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि राजकीय महाविद्यालय बड़सर के दूसरे चौथे व छठे समैस्टर में विद्यार्थियों को प्रवेंश फार्म पर प्रवेश दिया गया था। प्रवेश फार्म ₹10 प्रति फार्म की दर से विद्यार्थियों को विक्रय किये गए थे। प्रवेश फार्मों का मुद्रण समिश्रित निधि से किया जा रहा था तथा प्रवेश फार्मों की बिक्री से सम्बन्धित प्राप्त राशि भी समिश्रित निधि में जमा की जानी अपेक्षित थी। प्रवेश फार्म की क्रय से सम्बन्धित कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	क्रय की तिथि	मात्रा	भुगतान राशि	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0
1	12.2.14	400	1000	87—88
2	11.8.14	100	1050	91—92
3	9.12.15	1200	1701	117—118

निम्न विवरणानुसार विद्यार्थियों को दूसरे, चौथे एवं छठे समैस्टर में प्रवेश दिया गया था। लेकिन इन विद्यार्थियों से ₹10 प्रति विद्यार्थी की दर से प्राप्ति योग्य ₹40470 के जमा से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये। प्रवेश फार्मों की बिक्री से सम्बन्धित जमा राशि से सम्बन्धित सूचना प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 190 दिनांक 11.4.2017 द्वारा प्राचार्य से अनुरोध किया गया था लेकिन प्राचार्य द्वारा इस सन्दर्भ में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। प्रवेश फार्मों की बिक्री से प्राप्ति योग्य ₹40470 के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रवेश फार्म की बिक्री से सम्बन्धित जमा योग्य ₹40470 के जमा के सम्बन्ध में अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये, राशि को जमा न करने की स्थिति में जमा योग्य राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि समिश्रित निधि में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वर्ष	दूसरे, चौथे व छठे समैस्टर में प्रवेश लिए विद्यार्थियों की सं0	प्रति छात्र प्रवेश फार्म की प्राप्त राशि (₹)	कुल प्राप्ति योग्य राशि
1	2013—14	746	10	7460
2	2014—15	939	10	9390
3	2015—16	1122	10	11220
4	2016—17	1240	10	12400
			कुल	**₹40470**

8.2 ₹0.28 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजनः—

अंकेक्षण के दौरान निधि संग्रह रजिस्टर में प्राप्त राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न रसीदों के माध्यम से विद्यार्थियों से कम्पयूटर निधि की प्राप्ति दर्शाई गई थी लेकिन इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशियों की निधि संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी और न ही इन राशियों के जमा के सम्बन्ध में अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये। निम्न विवरणानुसार रसीद संख्या 1201 से 1246 द्वारा ₹28220 प्राप्त हुई थी। इस राशि के

दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन राशियों को महाविद्यालय निधियों में जमा न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। राशियों को जमा करने से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए। अन्यथा राशि के दुर्विनियोजन के मामले में उत्तरदायी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 197 दिनांक 27.4.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बड़सर के ध्यान में लाया गया था लेकिन प्राचार्य द्वारा उपरोक्त अधियाचना के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्र0सं0	रसीद संख्या	दिनांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	रोल नं0	प्राप्त राशि
1	1201	26.9.2012	दिनेश कुमार	BCA 1st	506	400
2	1202	26.9.2012	मनोज कुमार	B.A. IIIrd	9012	400
3	1203	26.9.2012	प्रिया शर्मा	B.A. IIIrd	925	400
4	1204	26.9.2012	माया देवी	B.A. IIIrd	456	400
5	1205	26.9.2012	ज्योति	B.A. IIIrd	730	500
6	1206	26.9.2012	कमला देवी	B.A. IIIrd	958	400
7	1207	26.9.2012	संजली कुमारी	B.A. IIIrd	957	400
8	1208	26.9.2012	पूजा देवी	B.A. IIIrd	964	400
9	1209	26.9.2012	फतेह सिंह	B.A. IIIrd	4002	600
10	1210	26.9.2012	फतेह सिंह	B.A. IIIrd	4002	400
11	1211	26.9.2012	सौरभ कुमार	BCA Ist	5007	500
12	1212	26.9.2012	पंकज कुमार	BSCA Ist	2004	400
13	1213	26.9.2012	रमा कुमारी	BCA Ist	502	400
14	1214	26.9.2012	कंचन कुमारी	BCA Ist	519	400
15	1215	26.9.2012	केवल कुमार	BCA Ist	5008	400
16	1216	26.9.2012	नेहा शर्मा	BCA Ist	501	400
17	1217	18.10.2012	दीक्षा बनयाल	BCA Ist	511	400
18	1218	18.10.2012	हरि कृष्ण	BCA Ist	5011	400
19	1219	18.10.2012	सपना कुमारी	BCA Ist	505	400
20	1220	18.10.2012	रीना कुमारी	BCA Ist	520	400
21	1221	20.10.2012	दीक्षा कुमारी	BCA Ist	503	400
22	1222	20.10.2012	विशाल ठाकुर	BCA Ist	5010	400
23	1223	20.10.2012	लखवीर सिंह	BCA Ist	5001	400
24	1224	20.10.2012	पूजा कुमारी	BCA Ist	513	400
25	1225	20.10.2012	विनोद कुमार	BCA Ist	4007	500
26	1226	23.10.2012	ज्योति	B.A. IInd	739	340
27	1227	23.10.2012	विनोद कुमार	B.A. Ist	4007	400
28	1228	25.10.2012	विनोद कुमार	B.A. Ist	4007	400
29	1229	25.10.2012	अनु कुमारी	B.A. IIIrd	936	640

30	1230	25.10.2012	अनु बाला	B.A. IIIrd	951	640
31	1231	25.10.2012	विनोद कुमार	B.A. Ist	4007	1040
32	1232	25.10.2012	सौरभ कुमार	BCA Ist	5007	400
33	1233	25.10.2012	प्रिया शर्मा	B.A. IIIrd	925	1040
34	1234	25.10.2012	ममता देवी	B.A. IIIrd	958	1040
35	1235	30.10.2012	संजली कुमारी	B.A. IIIrd	957	1040
36	1236	30.10.2012	पूजा देवी	B.A. IIIrd	964	1040
37	1237	30.10.2012	मनोज कुमार	B.A. IIIrd	9012	1040
38	1238	30.10.2012	पंकज कुमार	BSC Ist	2004	1040
39	1239	30.10.2012	फतेह सिंह	B.A. IIIrd	9002	340
40	1240	31.10.2012	माया देवी	B.A. IIIrd	956	1040
41	1241	6.11.2012	नेहा अत्री	BSC Ist	110	1040
42	1242	6.11.2012	पूजा देवी	BSC Ist	206	1040
43	1243	6.11.2012	प्रियंका शर्मा	BSC Ist	208	1040
44	1244	6.11.2012	सीमा देवी	BSC Ist	229	1040
45	1245	6.11.2012	मनीष कुमार	BSC Ist	2012	1040
46	1246	6.11.2012	अमन ठाकुर	BSC Ist	2019	1040
					योग	**₹28220**

8.3 प्रोसपैक्टस बिक्री ₹0.08 लाख को कम जमा करनाः—

समिश्रित निधि से प्रति वर्ष प्रोस्पैक्टस छपवाये जा रहे थे तथा प्रोस्पैक्टस की बिक्री से प्राप्त राशि समय—समय पर समिश्रित निधि में जमा की गई थी। अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014—15 के दौरान निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार महाविद्यालय में जितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। उतने विद्यार्थियों से प्रोसपैक्टस की बिक्री की प्राप्त राशि जमा नहीं की गई थी। वर्ष 2014—15 के दौरान निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार राजकीय महाविद्यालय बड़सर में 1015 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। इन विद्यार्थियों से प्रोस्पैक्टस की बिक्री के ₹30 प्रति प्रोस्पैक्टस की दर से ₹30450 (1015X₹30)प्राप्त राशि जमा की जानी अपेक्षित थी। जबकि निधि संग्रह रजिस्टर में निम्न विवरणानुसार ₹22260 जमा की गई थी। इस प्रकार ₹8190 (₹30450—₹22260) कम जमा की गई थी। इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कम जमा राशि बारे मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 194 दिनांक 24.4.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बड़सर के ध्यान में लाया गया था लेकिन प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बड़सर

द्वारा उपरोक्त मामले में कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त कम जमा राशि बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त ₹8190 की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। वर्ष 2014–15 के दौरान विद्यार्थियों से प्रोस्पैक्टस की बिक्री से प्राप्त राशि एवं उसके जमा का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**बिक्री किए प्रोस्पैक्टस की मात्रा**	**दर प्रति प्रोस्पैक्टस**	**जमा राशि**	**निधि संग्रह रजिस्टर संख्या**
1	6426	12.6.14	55	30	1650	132
2	6441	16.6.14	62	30	1860	133
3	6445	16.6.14	122	30	3660	133
4	6492	17.6.14	110	30	3300	135
5	6439	19.6.14	55	30	1650	138
6	6678	20.6.14	46	30	1380	140
7	6527	18.6.14	142	30	4260	145
8	6696	21.6.14	7	30	210	146
9	7197	24.6.14	41	30	1230	158
10	7140	25.6.14	9	30	270	161
11	7403	26.6.14	23	30	690	163
12	7447	30.6.14	31	30	930	169
13	7448	3.7.14	5	30	150	171
14	7385	7.7.14	2	30	60	171
15	7390	5.7.14	13	30	390	171
16	4722	18.7.14	19	30	570	174
		कुल	**742**		**22260**	

8.4 निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज शुल्क के रूप में प्राप्त आय की राशि में से सरकारी कोष में ₹0.04 लाख का कम जमा करवाया जानाः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 के निधि संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "च"** अनुसार शुल्क की राशियों को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया है। अतः महाविद्यालय द्वारा छात्रों से वसूल की गई शुल्क ₹4220 को सरकारी कोष में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त राशि को तुरन्त सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.5 ₹0.04 लाख की कम जमा राशिः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर के अवधि 4/2012 से 3/2017 के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों द्वारा छात्रों से वसूल की गई शुल्क की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में या तो दर्ज ही नहीं किया गया था या कम दर्ज किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹4170 सम्बन्धित निधियों में जमा नहीं की गई थी, इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। रसीदों से प्राप्त राशियों को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करने एवं कम दर्ज करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा कम जमा राशियों की चूककर्ता एवं उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधियों मे जमा करवाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद सं0	नाम	कक्षा	रो0नं0	राशि रसीद (₹)	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज राशि (₹)	कम दर्ज/जमा राशि (₹)
1	19.6.2012	0027	पटलवी शर्मा	B.A. IIIrd	718	694	604	90
2	15.10.2012	1449	विनोद कुमार	B.A. Ist	4007	665	365	300
3	24.6.2013	3543	कुशुम लता	D.A. IIIrd	1766	649	609	40
4	24.6.2013	3544	मंजू बाला	D.A. IIIrd	1767	649	609	40
5	26.6.2013	3770	पारूल शर्मा	BSC IIIrd	1211	1329	1029	300
6	28.6.2013	3832	अमित कुमार	B.Com IInd	19036	989	939	50
7	26.6.2015	9727	शिवानी	BSC IIIrd	1127	1389	–	1386
8	30.6.2016	0142	योगेश कुमार	BSC Ist	161125	1964	–	1964
						कुल योग		**₹4170**

9 विश्वविद्यालय निधिः–

महाविद्यालय में विद्यार्थियों से अन्य निधियों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निधि भी प्राप्त की जा रही थी। इन निधियों को विद्यार्थियों से प्राप्त करके विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अपेक्षित था। विश्वविद्यालय निधि की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

9.1 रोकड़ बही को उचित प्रकार से तैयार न करना व सक्षम अधिकारी द्वारा रोकड़ बही को सत्यापित न करनाः–

विश्वविद्यालय निधि की रोकड़ बही दिनांक 1.8.2012 से 24.11.2013 तक उचित प्रकार से नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों के जोड़ नहीं किए गये थे न ही बैंक के साथ मिलान किया गया था। रोकड़ बही को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था। दिनांक 25.11.2013 से बैंक खाते के शेष के आधार पर रोकड़ बही को तैयार किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। रोकड़ बही को तैयार न करने बारे एवं उसे सत्यापित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त अवधि की रोकड़ बही को अब तैयार करके व बैंक से मिलान करके एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.2 ₹1.47 लाख का संदिग्ध दुर्विनियोजनः–

विश्वविद्यालय निधि की निम्नविवरणानुसार निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार ₹147119 की प्राप्त राशियों को विश्वविद्यालय निधि से सम्बन्धित बैंक खाते मे जमा नहीं किया गया था। न ही इन राशियों के भुगतान के सम्बन्ध में भुगतान वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गये। इन राशियों के सम्भावित दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, उपरोक्त राशि को बैंक खाते में जमा न करने बारे मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195 दिनांक 26.4.2017 द्वारा प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बड़सर के ध्यान में लाया गया था। लेकिन प्राचार्य द्वारा इस सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया। प्राप्त राशियों को बैंक खाते में जमा न करना एक गम्भीर अनियमितता है। यह मामला उचित छानबीन एवं उत्तरदायी के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। अतः मामले की उचित विभागीय जाँच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	प्राप्ति की तिथि	निधि संग्रह रजिस्टर पृ0सं0	प्राप्त राशि (₹)	बैंक खाते में जमा राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	20.11.12	299	45400	–	45400
2	21.11.12	305	48520	–	48520

3	22.11.12	310	33670	—	33670
4	23.11.12	310	4570	—	4570
5	24.11.12	311	2750	—	2750
6	26.11.12	311	1080	—	1080
7	27.11.12	311	1900	—	1900
8	29.11.12	312	1510	—	1510
9	30.11.12	312	500	—	500
10	5.12.12	312	780	—	780
11	6.12.12	312	250	—	250
12	22.6.13	18	6189	—	6189
				कुल	**₹147119**

9.3 ₹1.41 लाख का पी0टी0ए0 निधि से ऋण प्राप्त करके बैंक खाते में जमा न करनाः—

विश्वविद्यालय निधि की रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 17.11.2012 को ₹141100 पी0टी0ए0 निधि से ऋण लिया दर्शाया गया था। इस राशि को विश्वविद्यालय निधि के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था न ही इस राशि के भुगतान/वापिस करने के सम्बन्ध में रोकड़ बही में कोई विवरण था। रोकड़ बही में यह विवरण नहीं दिया गया था कि ऋण किस उद्देश्य हेतु लिया गया था। उपरोक्त ऋण के प्राप्त करने, व्यय करने एवं वापिस करने बारे सूचना प्रस्तुत करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195 दिनांक 26.4.2017 द्वारा प्राचार्य महोदय से अनुरोध किया गया था लेकिन उनके द्वारा कोई सूचन प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त मामले की विस्तृत छानबीन करवाकर अनियमितता पाये जाने पर चूककर्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.4 ₹0.75 लाख के भुगतान के समर्थन में भुगतान वाउचर प्रस्तुत न करनाः—

अवधि 1.8.2012 से 24.11.2013 के दौरान विश्वविद्यालय निधि की रोकड़ बही उचित प्रकार से नहीं लिखी गई थी। विश्वविद्यालय निधि के बैंक खाते के अनुसार उपरोक्त अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार बैंक खाते से ₹74612 की निकासी की गई थी। लेकिन इस राशि के भुगतान के समर्थन में भुगतान वाउचर एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये। यह मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 195 दिनांक 26.4.2017 द्वारा प्राचार्य

महाविद्यालय बड़सर के ध्यान में लाया गया था लेकिन प्राचार्य महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। भुगतान के समर्थन में वाउचर प्रस्तुत न करना एक गम्भीर मामला है। अतः उपरोक्त अनुसार ₹74612 के भुगतान के समर्थन में आगामी अंकेक्षण के दौरान वाउचर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जायें अन्यथा बैंक खाते से निकासी की गई राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	निकासी की तिथि	चैक संख्या	राशि	जिसे भुगतान किया गया
1	17.9.12	47749	25659	श्री आर के चोपड़ा
2	1.1.13	47750	294	श्री राज कुमार
3	16.8.13	D.D. issued	2175	—
4	21.8.13	D.D. issued	2175	—
5	10.9.13	57044	44309	श्रीमती प्रेमी देवी
		कुल	**74612**	

9.5 भुगतान प्राप्ति की रसीदें प्रस्तुत न करनाः—

विश्वविद्यालय निधि से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को विविध भुगतान किए गये थे लेकिन भुगतान प्राप्ति के सत्यापन हेतु भुगतान प्राप्ति की रसीदें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। भुगतान प्राप्ति की रसीदों के अभाव में दर्शाये गये भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सकता। अतः निम्न भुगतानों के समर्थन में भुगतान प्राप्ति की रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	जिसे भुगतान किया गया	भुगतान का उद्देश्य	भुगतान राशि (₹)
1	29.9.14	सहायक रजिस्ट्रार हि0प्र0 विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रेशन फार्म	84600
2	29.12.14	सहायक नियन्त्रक परीक्षा हि0प्र0 विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रेशन शुल्क	114800
3	4.2.15	सहायक रजिस्ट्रार हि0प्र0 विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रेशन फार्म	400
4	24.2.15	परीक्षा नियन्त्रक परीक्षा हि0प्र0 विश्वविद्यालय	परीक्षा शुल्क	4000
5	15.10.15	सहायक रजिस्ट्रार R.M.E. हि0प्र0 विश्वविद्यालय	विविध शुल्क	48134
6	9.10.15	—यथोपरि—	रजिस्ट्रेशन शुल्क	400
7	22.12.16	वित्त अधिकारी हि0प्र0 विश्वविद्यालय	विकास निधि	1224750
			कुल	**1477084**

10 ₹0.50 लाख का समिश्रित निधि से व्ययः–

मिश्रित निधि दिनांक 21.6.2016 कों ड्राफ्ट नं0 256165 द्वारा ₹50000 का भुगतान वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय बड़सर की स्थाई मान्यता शुल्क (Permanent Affilation Fee) के रूप में किया गया था। इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राचार्य महोदय द्वारा निदेशक, शिक्षा हिमाचल प्रदेश से अनुरोध किया गया था। लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक इस राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई थी। उपरोक्त व्यय समिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से उपरोक्तानुसार किए गये ₹50000 के भुगतान को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 समिश्रित निधि से पहचान पत्रों के मुद्रण पर किया गया ₹0.41 लाख का अनुचित व्ययः–

समिश्रित निधि की प्राप्ति व व्यय एवं पहचान पत्र निधि की प्राप्ति व व्यय का विवरण रोकड़ बही में अलग–अलग तैयार किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 के दौरान समिश्रित निधि से ₹40849 का व्यय पहचान पत्रों के मुद्रण पर किया गया था। जबकि यह व्यय पहचान पत्र निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः समिश्रित निधि से पहचान पत्रों के मुद्रण पर किये गये व्यय बारे स्थिति स्पष्ट करने से अतिरिक्त समिश्रित निधि से पहचान पत्रों के मुद्रण पर किये गये अनुचित व्यय की पहचान पत्र निधि से प्रतिपूर्ति करके राशि समिश्रित निधि मे जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**भुगतान की तिथि**	**पहचान पत्रों के मुद्रण की भुगतान की गई राशि (₹)**
1	1.8.12	9450
2	11.9.13	3465
3	11.10.14	4064
4	11.9.15	12750
5	3.8.16	11120
	कुल	**₹40849**

12 समिश्रित निधि से पत्रिका मुद्रण पर अनुचित व्यय:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 18.4.2014 को समिश्रित निधि से राजकीय महाविद्यालय बड़सर की वर्ष 2014—15 की वार्षिक पत्रिका के मुद्रण हेतु ₹21600 का व्यय किया गया था। महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका का मुद्रण का व्यय पत्रिका निधि से किया जाना अपेक्षित था। पत्रिका के मुद्रण से सम्बन्धित व्यय को समिश्रित निधि से करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समिश्रित निधि से अनियमित रूप से पत्रिका के मुद्रण पर किये गये अनुचित व्यय ₹21600 को पत्रिका निधि से प्रतिपूर्ति करके समिश्रित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 ₹2.63 लाख के भुगतान वाउचर आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:—

अंकेक्षण के दौरान भुगतान वाउचरों की जाँच करते समय निम्न वाउचर नस्तियों में नहीं पाये गये बार—बार अनुरोध करने पर भी इन वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया अंकेक्षण अधियाचना संख्या 190 दिनांक 11.4.2017 द्वारा मामला प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बड़सर के ध्यान में लाया गया था लेकिन उनके द्वारा भी इस सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया। निम्न विवरणानुसार विभिन्न निधियों के ₹263276 के भुगतान वाउचर अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये जिसके अभाव में किये गये भुगतान को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों को आवश्यक जाँच पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए अन्यथा किए गये भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके राशि को सम्बन्धित निधियों में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान का विवरण	निधि जिससे व्यय किया गया	भुगतान राशि (₹)
1	15.10.2012	मै0 हमीर साईटिफिक इन्स्ट्रूमैन्टल मैहरे जिला हमीरपुर	समिश्रित निधि	45344
2	31.12.2012	—यथोपरि—	खेल निधि	89985
3	29.10.2015	चीफ कमीशनर भारत स्काऊट एण्ड गाईड एवं निदेशक शिक्षा हि0प्र0 शिमला	स्काउट एण्ड गाईड निधि	127947
			कुल	**263276**

14 संचयिकाः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर में पूर्व अवधि के दौरान विद्यार्थियों से संचयिका निधि प्राप्त किया गया था जिसे समिश्रित निधि से सम्बन्धित रोकड़ बही में जमा किया गया था। यह राशि किन विद्यार्थियो से प्राप्त की गई थी व किन विद्यार्थियो को वापिस की जानी है से सम्बन्धित विवरण भी अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में संचायिका प्राप्त नहीं की गई थी। अतः संचयिका खाते मे पूर्व वर्षों की जमा ₹3000 दर्शाई जा रही है जिसे महाविद्यालय के भवन निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए व भविष्य में भी संचयिका योजना सरकार द्वारा बन्द कर दी गई है।

15 सोसाईटी क्लब निधिः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर में पूर्व अवधि के दौरान सोसाईटी क्लब निधि प्राप्त किया जा रहा था। दिनांक 31.3.2012 को सोसाईटी क्लब निधि में ₹86688 जमा दर्शाये गये थे तथा दिनांक 31.3.2017 को भी यही राशि जमा थी। अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2017 के दौरान विद्यार्थियो से सोसाइटी क्लब निधि प्राप्त नहीं किया गया था। अतः सोसाईटी क्लब निधि में जमा ₹86688 को महाविद्यालय के समिश्रित निधि में ब्याज सहित जमा किया जाए तथा भविष्य में इस तरह की कोई भी निधि नियमों के विपरीत एकत्र न की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 रोकड़ बहियों को उचित प्रकार से तैयार न करनाः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर में विभिन्न निधियों से सम्बन्धित लिखी जा रही रोकड़ बहियों को उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया था। रोकड़ बही में यह विवरण नहीं दिया गया था कि किस उद्देश्य से भुगतान किया जा रहा है, किस चैक से भुगतान किया जा रहा है व किस बिल के विरूद्ध भुगतान किया जा रहा है। वाउचर नस्तियों एवं रोकड़ बही में वाउचर नं0 भी नहीं लगाए गये थे। रोकड़ बही को उचित प्रकार से तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में रोकड़ बही लिखते समय उपरोक्त वर्णित सूचना एवं वाउचर संख्या का विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा राशियों के जमा का सत्यापन/मिलान न करने बारेः–

राजकीय महाविद्यालय बड़सर के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017 के अंकेक्षण के दौरान सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा राशियों के जमा के सत्यापन हेतु सरकारी कोष के साथ मिलान नहीं किया गया था। अतः अवधि 1.4.2012 से 31.3.2017

तक सरकारी कोष में जमा राशियों का सरकारी कोष के साथ मिलान किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त राशियाँ सरकारी कोष में जमा हो गई है तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाएं।

18 महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर का अनुरक्षण न करने बारेः–

राजकीय महाविद्यालय बडसर के अवधि 4/2012 से 3/2017 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र के दौरान देय शुल्क व निधि राशि की वसूली कर ली गई है अथवा नही? अतः उपरोक्त अभिलेख का अनुरक्षण करके इसे आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र की देय शुल्क व निधि राशि की पूर्ण वसूली सत्र की समाप्ति पर कर ली गई है।

19 छात्र निधियों से दिए गए अग्रिमों के समायोजन बारेः–

अग्रिम रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि छात्र निधियों से निम्न विवरणानुसार विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था। अग्रिमों का समायोजन कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद किया जाना अपेक्षित है। लेकिन इन अग्रिमों का समायेाजन दिनांक 31.3.2017 तक नहीं किया गया। अतः शीघ्र इन अग्रिमों का समायोजन करने के साथ–साथ भविष्य मे ंअग्रिम राशियों का समायोजन समय पर करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	नाम	उद्देश्य	राशि (₹)
1	20.1.2014	श्री मनोज शर्मा	एन0एस0एस0 कैम्प आयोजन हेतु	20000
2	24.3.2017	श्री रत्न चन्द	वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम हेतु	20000
			कुल	**₹40000**

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच मे ंपाया गया कि महाविद्यालय में निधियों के स्टॉक मे ंपड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 **निष्कर्षः–** निधि लेखाओं के रख–रखाव मे बहुत सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)(xi)(vi)111/2013–खण्ड–1–6529–6531 दिनाँक,2.11.17
शिमला–09, प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 सरकार शिमला–171002

2 निदेशक (उच्चत्तर शिक्षा) शिक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "I"

राजकीय महाविद्यालय बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) अंकेक्षण प्रतिवेदनों की वर्तमान स्थिति (पैरा 1 (1) में सन्दर्भित)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2012

1	पैरा–2	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क राशि प्रेषित कर दी गई है)
2	पैरा–3 (क)	निर्णीत	(सूचनार्थ)
3	पैरा–3 (ख)	निर्णीत	(अन्तर की राशि का मिलान कर दिया गया है)
4	पैरा–3 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–3 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–3 (ङ)	अनिर्णीत	
7	पैरा–3 (च)	अनिर्णीत	
8	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(₹2400 दिनांक 1.2.2013 को रोकड़ बही पेज संख्या 57 में जमा कर दिये गये है)
9	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–5	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा–6	अनिर्णीत	
15	पैरा–7	अनिर्णीत	
16	पैरा–8	अनिर्णीत	
17	पैरा–9	अनिर्णीत	